



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1943 (श10)

(सं० पटना 698) पटना, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

सं० 08/आरोप-01-42/2015/7639-सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

27 जुलाई 2021

श्री सुनील दत्त झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-739/2011, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, कैमूर के विरुद्ध बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, मुख्यालय में आने पर बिना योगदान दिये एवं बिना उच्चाधिकारी से मिले पुनः मुख्यालय से अनुपस्थित हो जाने, सौंपे गये कार्य को निष्पादित नहीं करने बार-बार स्पष्टीकरण मांगे जाने पर जबाब नहीं देने, स्वेच्छारिता, अनुशासनहीनता एवं उच्च पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक 1364 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर पुर्नगठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7463 दिनांक 06.06.2018 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। परन्तु कई स्मारों के बावजूद श्री झा से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में छः बार स्मार पत्र भी निबंधित डाक द्वारा दिया गया।

वर्णित स्थिति में श्री झा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि कई स्मार पत्र दिये जाने के बावजूद श्री झा द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवेदित आरोप के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा उन पर लगाये गये आरोप को वे स्वीकार करते हैं।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सुनील दत्त झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-739/2011, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, कैमूर सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर को प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

(क) निन्दन (वर्ष 2010-11)।

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 698-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>